झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–79 / 2020

प्रदीप कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री एच0के0 शिकरवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री शरधु महतो, ए0पी0पी0।

2 / 17.01.2020

पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 161 / 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

यह आरोप लगाया गया है कि झारखण्ड कोलियरी श्रम संघ के कार्यालय में घाना मांझी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जब वे कृष्णा के कपड़ा के दुकान पर पहुँचे तो मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्तियों ने उन पर गोली चलाई, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को पंकज कुमार एवं निरंजन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर फंसाया गया है और उपरोक्त निरंजन कुमार

को इस न्यायालय के द्वारा बी0ए0 संख्या 10918/2019 में पहले ही जमानत प्रदान किया जा चुका है। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग की संतुष्टि पर बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 161/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)